राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 474/2025

राजेन्द्र कुमार सिंवर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उपायुक्त सह संयुक्त सचिव(ग), पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर।
4. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 13.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र चौधरी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर पंचायत समिति पीपाड़ सिटी जिला जोधपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 11.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति बाप जिला फलोदी में किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.02.2025 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी वर्ष 2021 से पंचायत समिति रेल मगरा, जिला राजसमंद में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायत समिति पीपाड़ सिटी

जिला जोधपुर में किया गया था। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में अध्यापिका के पद पर लेवरा कल्लन जिला जोधपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है एवं अपीलार्थी की माता 85 वर्षीय वृद्ध महिला है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ऐसे में अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण लगभग 250 किलोमीटर दूर किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाये जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 05.02.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरंतर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य